



Circular

Circular No: PFRDA/2024/06/Sup-CRA/03

15th Mar 2024

To
All NPS Stake Holders

**Subject: Mandatory 2 - Factor Aadhaar Authentication for CRA System Access w.e.f.
1st April 2024**

Government and Corporate Nodal offices, including PrAO/DTA/PAO/DTO/DDO, are granted with access to the Central Recordkeeping Agency (CRA) system for conducting National Pension System (NPS) related tasks, perform activities and generate various reports. The additional security layer, 2-Factor Aadhaar-based authentication, is being compulsorily implemented for all password-based users logging into the CRA system, effective from 1st April 2024 as communicated vide our earlier Circular dt 20th Feb 2024.

2. Benefits of 2-Factor Authentication:

- i. Increased Security: The two-factor approach significantly reduces the risk of unauthorized access to the CRA system.
- ii. Enhanced Protection: This additional layer safeguards NPS transactions and protects the interests of both subscribers and stakeholders.

3. Additional Security Feature: Currently, Nodal Offices under Central and State Governments, including their underlying Autonomous bodies, use a password-based login to access the CRA for NPS transactions. To bolster security features and protect the interests of Subscribers and Stakeholders, it has been decided to introduce additional security features through Aadhaar-based authentication for login to the CRA system. This Aadhaar-based login authentication will be integrated with the current User ID and Password-based login process, enabling 2-Factor Authentication for accessing the CRA system.

4. Aadhaar Mapping: User IDs of Nodal offices under the Government Sector (Central/State/CAB/SAB) shall be permitted to login to the CRA system (CRA & NPSCAN) using 2-Factor Authentication through Aadhaar OTP (One-time password). The Oversight office (PrAO/DTA) must initially link their Aadhaar with their respective CRA User ID, enabling underlying users to initiate Aadhaar Mapping. Similarly, PAO/DTO must link their Aadhaar with their respective CRA User ID, allowing underlying DDOs to initiate Aadhaar linking.

5. Performance of NPS Activities: All offices under the Government Sector and Autonomous Bodies are required to implement the necessary framework for the additional feature of Aadhaar-based login and authentication in the CRA system to carry out all NPS related activities.



6. **Standard Operating Process**: The attached document outlines the process for Nodal offices attached with Protean CRA to link their Aadhaar and proceed with functional activities using the CRA system and covers the following points:

- i. One-time registration of Aadhaar number against Nodal Office User ID
- ii. Authentication of Aadhaar Mapping to Nodal Office User ID
- iii. Status view for Aadhaar Mapping
- iv. Procedure for regular (Aadhaar-based) access to CRA system

Government and Corporate Nodal Offices, along with Autonomous Bodies, are requested to implement the necessary framework for the new Aadhaar-based login and authentication and ensure seamless execution of all NPS-related activities.

Yours sincerely,

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI
Chief General Manager



परिपत्र

परिपत्र सं : पीएफआरडीए/2024/06/एसयूपी-सीआरए/03

15 मार्च, 2024

प्रति,

सभी एनपीएस हितधारक

विषय - सीआरए प्रणाली के उपयोग हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2024 से द्विस्तरीय आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता

पीआरएओ/डीटीए/पीएओ/डीटीओ/डीडीओ सहित सरकारी और कॉर्पोरेट नोडल कार्यालयों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से संबंधित कार्यों के संचालन, गतिविधियों के निष्पादन और विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण (सीआरए) प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने वाले सभी पासवर्ड-आधारित उपयोगकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर, द्विस्तरीय आधार-आधारित प्रमाणीकरण, को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। जैसा कि हमारे पिछले परिपत्र दिनांक 20 फरवरी 2024 द्वारा सूचित किया गया था, यह दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा।

2. द्विस्तरीय प्रमाणीकरण के लाभ:

- सुरक्षा में बढ़ोतरी : द्विस्तरीय वृष्टिकोण के माध्यम से सीआरए प्रणाली के अनधिकृत उपयोग के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- संवर्धित सुरक्षा : इस अतिरिक्त स्तर से एनपीएस लेनदेन सुरक्षित होता है तथा अभिदाताओं और हितधारकों के हितों की रक्षा होती है।

3. अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा: वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों के तहत नोडल कार्यालय, उनके अंतर्निहित स्वायत्त निकायों सहित, एनपीएस लेनदेन के लिए सीआरए का उपयोग करने के लिए पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रयोग करते हैं। सुरक्षा विशेषताओं को बढ़ाने और अभिदाताओं और हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, सीआरए प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो सीआरए प्रणाली का उपयोग करने के लिए द्विस्तरीय प्रमाणीकरण को सक्षम करेगा।

4. आधार मैपिंग: सरकारी क्षेत्र (केंद्रीय/राज्य/सीएबी/एसएबी) के अंतर्गत नोडल कार्यालयों की यूजर आईडी को आधार ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) के माध्यम से द्विस्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए सीआरए सिस्टम (सीआरए और एनपीएससीएन) में लॉगिन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण कार्यालय (पीआरएओ/डीटीए) को प्रारम्भ में अपने आधार को अपने संबंधित सीआरए यूजर आईडी से जोड़ना होगा, जिससे अंतर्निहित उपयोगकर्ता आधार मैपिंग का उपयोग कर सकें। इसी प्रकार, पीएओ/डीटीओ भी अपने आधार को अपने संबंधित सीआरए यूजर आईडी से जोड़ेंगे, जिससे अंतर्निहित डीडीओ को आधार लिंकिंग शुरू करने की अनुमति मिल सके।

5. एनपीएस गतिविधियों का प्रदर्शन: सरकारी क्षेत्र के तहत सभी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को एनपीएस से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने हेतु सीआरए प्रणाली में आधार-आधारित लॉगिन और प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा के लिए आवश्यक ढांचे को स्थापित करना आवश्यक है।

6. मानक संचालन प्रक्रिया: संलग्न दस्तावेज प्रोटियन सीआरए से जुड़े नोडल कार्यालयों के लिए उनके आधार को जोड़ने और सीआरए प्रणाली का उपयोग करके कार्यात्मक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं :

- i. नोडल कार्यालय उपयोगकर्ता आईडी के लिए आधार संख्या का एक बार पंजीकरण
- ii. नोडल कार्यालय उपयोगकर्ता आईडी के लिए आधार मैपिंग का प्रमाणीकरण
- iii. आधार मैपिंग की अवस्थिति
- iv. सीआरए प्रणाली तक नियमित (आधार-आधारित) उपयोग की प्रक्रिया

स्वायत्त निकायों सहित सरकारी और कॉर्पोरेट नोडल कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे नए आधार-आधारित लॉगिन और प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करें और एनपीएस से संबंधित सभी गतिविधियों का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI

(मुख्य महाप्रबंधक)